राज्य शिक्षा केन्द्र

बीं–विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल–462011

क्रमांक/राशिके/2011/पुस्तकालय/ 10989 भोपाल,दिनांक 8·12·11

राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश की प्राथमिक शालाओं की विशेषतः कक्षा 1 से 3 में नामांकित बच्चों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने में सहायक पुस्तकें, चयनित कर क्रय अथवा रायल्टी के आधार पर प्रकाशित करायी जाना प्रस्तावित है। अतः इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की रूचियों, आवश्यकताओं व स्तरों के अनुरूप पुस्तकें लेखकों, प्रकाशकों, शासकीय प्रकाशन इकाईयों आदि से दरें निम्न प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है।

2. इच्छुक लेखक, प्रकाशक जो कि रॉयल्टी भुगतान पर पुस्तकें राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्रकाशित करने हेतु सहमत है, वे अपने प्रस्ताव में इन पुस्तक की प्रति के साथ अपेक्षित रॉयल्टी की जानकारी निम्न प्रपत्र में दें –

क्र.	पुस्तक का नाम	रॉयल्टी राशि (रु. में) (पुस्तकों की निम्नानुसार संख्या के आधार पर)				
		1001–2000	2001–4000	4001–6000	6001–10000	10000 से ऊपर

3. जो प्रकाशक, लेखक अपनी प्रिंटेड पुस्तकें ही उपलब्ध कराना चाहते है वे अपने प्रस्ताव में पुस्तकों की प्रति के साथ उन पुस्तकों की प्रिंटेड कीमत पर कितना प्रतिशत डिस्काउंट प्रदान कर सकेंगे, का उल्लेख निम्न प्रपत्र में दें –

क्र.	पुस्तक का नाम	प्रिंटेड मूल्य	डिस्काउन्ट (पुस्तकों की निम्नानुसार संख्या के आधार पर)				
			500–1000	1001–2000	2001–4000	4001–6000	6000 से ऊपर

पुस्तकें प्रस्तुत करने संबंधी नियम व शर्तें राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाईट **www.educationportal.mp.gov.in & www.ssa.mp.gov.in** से **download** की जा सकती हैं। नियम व शर्तें राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रथम तल स्थित पुस्तकालय से व्यक्तिगत या डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। डाक से मंगाने हेतु अपना पता लिखें, टिकट लगे लिफाफे पर "पुस्तक चयन के नियम व शर्तें" लिख कर भेजें। चयन के लिए पुस्तकें मय नियत प्रपत्र में जानकारी दिनांक **31–12–2011** तक कार्यालय दिवस में अपराह्न 4.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

कक्षा पहली से तीसरी के लिए पुस्तक चयन हेतु पुस्तकें प्रस्तुत करने संबंधी नियम व शर्तें विज्ञप्ति क्रमांक 10989 दिनांक 8.12.2011

1. मध्यप्रदेश की प्राथमिक शालाओं की विशेषतः कक्षा 1–3 तक के बच्चों के लिए उपयोगी व रूचिकर पुस्तकों के क्रय किये जाने हेतु पुस्तकों का चयन किया जाना है। शासकीय प्रकाशन इकाईयों तथा प्रकाशकों आदि से उपयोगी पुस्तकें दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत आमंत्रित हैं।
2. पुस्तकों के क्रय में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा राजा राम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता के द्वारा निर्धारित छूट नियमानुसार मान्य होगी।

चयन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के विषय व स्वरूप –

3. पुस्तकें बच्चों की रूचियों व उनकी पढ़ने की दक्षताओं के अनुरूप हों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि कक्षा प्राथमिक में नामांकित बच्चों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने की दृष्टि से उपयुक्त पुस्तकें ली जाना है। अतः कक्षा 1–3 स्तर पर पढ़ना सिखाने की विधियों पर केंद्रित पुस्तकें ही प्रस्तुत की जायें। बाल सुलभता, बाल रूचि व बाल सामर्थ्य को ध्यान में रखकर विकसित की गई पुस्तकें ही चयनित की जायेंगीं। पुस्तकें ऐसी हों जिन्हें बच्चे स्वयं पढ़ सकें, पढ़ने का आनंद ले सकें, जिससे कि उनमें आरंभ से ही पठन और पुस्तकों के प्रति रूचि विकसित हो सके।
4. बच्चों के लिए जिस प्रकार की पुस्तकें आमंत्रित है उनका सुझावात्मक विवरण तथा विषय कोड प्रपत्र–1 पर दिये गये है। प्रत्येक पुस्तक के कवर के ऊपर उपयुक्त कोड स्पष्ट व बड़े अक्षरों में आवश्यक रूप से लिखा जाये।
5. उत्पादन की गुणवत्ता अर्थात मुद्रण, बाईडिंग/कवर, कागज तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से श्रेष्ठ एवं मूल्य व पृष्ठ संख्या के मान से किफायती पुस्तकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
6. इच्छुक लेखक/प्रकाशक जो कि रायल्टी भुगतान पर पुस्तकें राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्रकाशित करने हेतु सहमत हैं, वे उन पुस्तकों की प्रतियों के साथ अपेक्षित कुल रायल्टी राशि का उल्लेख प्रस्ताव के साथ करें।पुस्तक का चयन होने पर पुस्तक की साफ्ट कापी (सी.डी.) भी उपलब्ध करवाना होगी।
7. इच्छुक लेखक/प्रकाशक जो कि रायल्टी भुगतान पर पुस्तकें राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्रकाशित करने हेतु सहमत है, वे इन पुस्तकों पर कितनी रायल्टी चाहते है, का उल्लेख भी निम्न प्रपत्र में देंगें :–

क्र.	पुस्तक का नाम	रॉयल्टी राशि (रु. में) (पुस्तकों की निम्नानुसार संख्या के आधार पर)				
		1001–2000	2001–4000	4001–6000	6001–10000	10000 से ऊपर

8. जो प्रकाशक/लेखक अपनी प्रिंटेड पुस्तकें ही उपलब्ध कराना चाहते है वे पुस्तकों की प्रति के साथ उन पुस्तकों की प्रिंटेड कीमत पर कितना प्रतिशत डिस्काउंट प्रदान कर सकेंगें का उल्लेख निम्न प्रपत्र में देंगे –

क्र.	पुस्तक का नाम	प्रिन्टेड मूल्य	डिस्काउन्ट (पुस्तकों की निम्नानुसार संख्या के आधार पर)				
			500–1000	1001–2000	2001–4000	4001–6000	6000 से ऊपर

9. प्रस्तुत की गई प्रत्येक पुस्तक में, पुस्तक का परिचय, लेखक का परिचय/पता, पुस्तक का विषय सूची/इंडेक्स (जहाँ लागू हो), आई.एस.बी.एन. नं0, कापीराइट संबंधी जानकारी तथा पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों में, प्राप्त पुरस्कार का उल्लेख स्पष्टतः होना चाहिए।

10. प्रकाशन इकाई व जमा की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में विवरण प्रपत्र–2 में भरकर दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जाएं।
11. प्रपत्र–2 में दी जाने वाली जानकारियों के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजआयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के नाम से सीलबन्द लिफाफे में अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जायें :–
12. (क) विज्ञप्ति नियम अनुसार एक पेन॰कार्ड पर एक ही प्रकाशक फर्म को मान्य किया जावेगा।
    (ख) सभी प्रकाशन इकाई/इकाई स्वामी के पेन नं0 कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
    (ग) सभी प्रकाशन इकाई/इकाई स्वामी की गत वित्तीय वर्ष 2010–11 की इनकम टेक्स रिटर्न (आयकर विवरणी–सरल) की सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। रिटर्न में यदि प्रकाशन इकाई का नाम दर्ज नहीं है तो रिटर्न के साथ अनुसंलग्नक के रूप में जमा कराये गये संक्षिप्त विवरण (बैलेन्स शीट– जिसमें प्रकाशन इकाई के नाम का उल्लेख हो) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। छायाप्रति में पेन नम्बर व प्रकाशन इकाई के नाम को हाईलाइट करें।
    (घ) प्रकाशन इकाई के बैंक एकाउन्ट क्रमांक की जानकारी प्रपत्र–3 पर दिये गये निर्धारित प्रपत्र में दी जाये। प्रपत्र मूलतः संलग्न किया जाए।
    (ङ.) सभी पुस्तकों का आई.एस.बी.एन. नं0 प्रपत्र–2 में दिया जाए।
    (च) आई.एस.बी.एन. प्रदायकर्ता राष्ट्रीय अभिकरण में प्रकाशन इकाई के पंजीयन के प्रमाण स्वरूप इस एजेंसी से प्रकाशन इकाई को प्राप्त पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
    (छ) इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्रत्येक पुस्तक की प्रतियॉ राष्ट्रीय पुस्तकालयों को उपलब्ध कराई गई है, इसके प्रमाण के रूप में कम से कम एक राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तक की प्रति प्राप्त होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। प्रपत्र –2 प्रस्तुत की जा रही सभी पुस्तकों पर यह व्यवस्था लागू होगी।
    (ज) प्रकाशन इकाई अपना सूची पत्र/केटलोग अवश्य संलग्न करें।

13. जो पुस्तकें गत तीन वर्षों में केन्द्रीय/किसी राज्य शासन इकाई द्वारा आपूर्ति हेतु चयनित की गई है उनके संबंधित का आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।
14. पुस्तक का विवरण प्रपत्र–4 में देना अनिवार्य है। प्रकाशक द्वारा जिन पुस्तकों को नमूने के लिए भेजा जा रहा है उन सभी पुस्तकों के पहले पेज पर प्रपत्र–4 सम्पूर्ण जानकारी के साथ स्टेपल/पिनअप करें (चिपकाएं नहीं)। पुस्तक को यदि कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है या पुस्तक की समीक्षा किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई है तो उसकी छायाप्रति प्रपत्र–4 के साथ संलग्न करते हुए स्टेपल/पिनअप की जाए।
15. प्रति प्रकाशक रूपये 5000/–(रूपये पॉच हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) के रूप में आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के नाम से ड्राफ्ट के माध्यम से सीलबन्द लिफाफे के साथ जमा किया जाए

<u>चयन के लिए पुस्तकें प्रस्तुत करने की प्रकिया</u> –

16. निजी प्रकाशन इकाई से अधिकतम 20 पुस्तकें चयन के लिए स्वीकार की जाएंगी।
17. चयन के लिए पुस्तकों की एक–एक प्रति पुस्तक चयन समिति, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल के पते पर व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। पुस्तकें दिनांक **31–12–2012** तक कार्यालयीन दिवस में अपराह्न 4.00 बजे तक स्वीकार की जाएगी।
18. प्रपत्र–2 की दो प्रति जिसमें एक प्रति (पूर्ण जानकारी भरकर) प्रकाशन इकाई के कवरिंग लेटर तथा वांछित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियों के साथ जमा करानी होगी तथा दूसरी प्रति में पूर्ण जानकारी भरकर प्रस्तुत करना होगी। (दस्तावेज सिर्फ एक प्रति के साथ ही लगायें)।
19. पुस्तकें डाक/कोरियर से भेजने के स्थिति में – कवरिंग लेटर प्रपत्र–2 तथा वांछित दस्तावेज आदि एक अलग लिफाफे में रखकर पुस्तक के बंडल/पैकेट में ही भेजे जायें। यह दस्तावेज पृथक से डाक/कोरियर द्वारा नहीं भेजें।
20. पुस्तकें राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल कार्यालय में जमा कराने/भेजने के पूर्व प्रपत्र–5 पर दी गई चेक लिस्ट के आधार पर दस्तावेजों आदि का परीक्षण अनिवार्यतः कर लें।

अन्य बिन्दु–

21. यदि प्रस्तुत की गई पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 3 वर्ष से पहले का है, मान्य नहीं होगा और नहीं पुरानी पुस्तक का नया नाम देकर या प्रकाशन वर्ष,मूल्य परिवर्तित कर प्रस्तुत करने वाली पुस्तकों का चयन नही किया जाएगा एवं इसे प्रस्तुत करना एक गंभीर अपराध भी माना जाएगा।
22. संस्करण वर्ष एवं मूल्य मूलतः पुस्तक भाग के अन्दर के पृष्ठ पर मुद्रित होने चाहिए,बिना मुद्रित मूल्य और स्लिप चिपकाकर अथवा रबर स्टाम्प लगाकर या किसी अन्य विधि से दर्शित मूल्य वाली पुस्तकों एवं कवर मुद्रित मूल्य वाली पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. पुस्तक का टाइटल पेज पुस्तक के साथ मूलतः लगा हुआ होना चाहिए, पुराना फाड़कर नया शीर्षक (टाइटल) लगाने पर पुस्तक चयन पर विचार नहीं होगा।
24. ऐसे लेखक/प्रकाशक जो अपने अधिकृत अभिकर्ता(एजेन्ट) अथवा स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से पुस्तक आपूर्ति करना चाहते हैं,उन्हें प्रस्तुतीकरण के अपने अभिकर्ता/प्रतिनिधि केनाम अधिकृत पत्र पुस्तक आपूर्ति व बिल इत्यादि भिजवाने का स्पष्ट सहमति पत्र विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. चयनित पुस्तकों का क्रय विद्यालय के कक्षा पहली से तीसरी के बच्चों के लिए ही किया जायेगा। अतः बच्चों की रूचि एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पुस्तकें प्रस्तुत की जाए। सामान्यतः विदेशी एवं पाठ्य पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी।
26. पुस्तकों के क्रयादेश देने पर प्रकाशकों के द्वारा शीर्षकवार (टाइटल) न्यूनतम डिस्काउट (35 प्रतिशत) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार देय होगा।
27. चयन के लिए प्रस्तुत की गई नमूने की पुस्तकें,राज्य शिक्षा केन्द्र को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। नमूने की यह पुस्तकें वापस नहीं लौटाई जायेंगी
28. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पुस्तकों में से, उपयुक्त पुस्तकों का चयन, पुस्तक चयन समिति द्वारा राजा राम मोहनराय, प्रतिष्ठान एवं म.प्र.राज्य पुस्तकालय समिति के निर्धारित प्रावधान अनुसार ही किया जावेगा।
29. सभी प्रकाशकों द्वारा दो सील बंद लिफाफे दिया जाना अनिवार्य है, जिसमें से एक लिफाफे में बैंक ड्राफ्ट एवं प्रकाशन का कवरिंग पत्र हो तथा दूसरे सील बंद लिफाफे में प्रकाशन इकाईयों के समस्त दस्तावेज जो विज्ञप्ति अनुसार चाहे गये है,रखना अनिवार्य होगा।
30. जमा किये गये सभी सीलबन्द लिफाफे निश्चित तिथि पर सभी प्रकाशकों के समक्ष खोले जावेगें जिसकी सूचना राज्य शिक्षा केन्द्र की वेब साईट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जावेगी।
31. सील बन्द लिफाफे खोले जाने के पश्चात्, पात्र पाये गये प्रकाशकों की पुस्तकों को ही चयन प्रक्रिया में रखा जावेगा।
32. अस्वीकृत पुस्तकों के संबंध में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
33. चयन समिति को पुस्तकों का चयन करने, उनकी संख्या निर्धारित करने, मूल्य निर्धारित करने, मान्य या अमान्य करने संबंधी समस्त अधिकार होंगें एवं समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके विरूद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
34. पुस्तक चयन की प्रकिया या निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव/ लाबिंग को प्रकाशक/संगठन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
35. पुस्तक चयन/कय के लिए शासन स्तर पर/शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय पुस्तकालय समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। पुस्तक चयन व कय आदेश जारी होने के बाद भी समिति तथा शासन को कोई नई शर्त लगाने अथवा कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
36. विचारार्थ भेजी पुस्तकों पर छपा मूल्य ही मान्य किया जायेगा। तीन वर्ष से पूर्व की पुस्तकों के मुद्रित मूल्यों में संशोधन की स्थिति में प्रकाशक संशोधित मूल्य के सामने हस्ताक्षर करें व संस्था की सील अवश्य लगायें। अन्य पुस्तकों के मूल्य में हाथ से लिखा, सील द्वारा सुधारा या चिट लगाकर बदला गया मूल्य अमान्य होगा। उक्तानुसार संशोधन करने वाले प्रकाशक, कम संख्या मे पुस्तकें प्रदाय करने वालों, समय–सीमा का पालन न करने वाले प्रकाशकों को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा काली सूचीबद्ध किया जायेगा।

37. जिन प्रकाशकों को क्रय आदेश जारी किया जावेगा उन्हें क्रय आदेश प्राप्ति के दस दिवस के भीतर परफारमेंस गारंटी राशि के रूप में क्रय आदेश का 5 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र के नामें प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

38. किसी भी तरह के विवाद के लिए जिला न्यायालय, भोपाल/मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

नोट :- 1.असुविधा से बचने के लिए कृपया अंतिम दिनांक **31-12-2012** के पूर्व ही किताबें व निर्धारित प्रपत्र में जानकारियॉ तथा दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करें।

2. जानकारियॉ, दस्तावेजों का मिलान पुस्तकें जमा करने/कराने से पूर्व प्रपत्र-5 पर दी चेक लिस्ट से अवश्य कर लें।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

प्रपत्र–5

चैक लिस्ट

पुस्तकें, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल कार्यालय में जमा कराने/भेजने के पूर्व कृपया वांछित जानकारियॉं, दस्तावेज, निर्धारित प्रपत्र अवश्य संलग्न करें। इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें :–

1. यह सुनिश्चित कर लें, कि पुस्तकें कक्षा पहली व दूसरी बच्चों की आवश्यकताओं तथा उनके स्तर के अनुरूप है।
2. प्रत्येक पुस्तक पर प्रपत्र–1 पर दिये गये विषय के अनुसार कोड लिखकर चस्पा करें।
3. प्रपत्र 2 में पूर्ण जानकारी प्रकाशक द्वारा दर्ज कर दी गई है।
4. परीक्षण कर लें कि प्रपत्र–2 की एक प्रति के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :–
   - (अ) पेन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
   - (ब) आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति।
   - (स) बैंक खाता संबंधी प्रपत्र–3 मूलतः संलग्न करें।
   - (द) आई.एस.बी.एन. प्रदायकर्ता एजेंसी से प्रकाशन इकाई को प्राप्त पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
   - (इ) किसी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रत्येक प्रस्तुत पुस्तक की प्रति प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।
   - (ई) पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों के संबंध में प्राप्त पुरस्कार के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
   - (ए) प्रकाशन इकाई का सूची पत्र/केटलोग संलग्न करें।
5. राशि रू. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट सील बन्द लिफाफे के साथ अलग से जमा करे।
6. प्रपत्र–2 की एक अतिरिक्त प्रति (बिना दस्तावेजों के) संलग्न करें।
7. गत तीन वर्षों में केन्द्रीय/किसी राज्य शासन इकाई द्वारा आपूर्ति हेतु चयनित पुस्तक की प्रविष्टी संबंधित कॉलम में कर दी गई और संबंधित कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न है।
8. सुनिश्चित कर लें, कि प्रपत्र–4 प्रत्येक पुस्तक के लिए भरा गया है तथा प्रत्येक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ के साथ स्टेपल/पिनअप कर दिया गया है।
9. पुसतकों के पैकेट/बंडल की व्यक्तिगत सुपुर्दगी की स्थिति में प्रकाशन इकाई के कवरिंग लेटर के साथ प्रपत्र–2 की पूर्णतः भरी एक प्रति तथा उपरोक्त दस्तावेज संलग्न कर पृथक से प्रस्तुत किये जाएं।
10. पुस्तकें डाक से भेजने की स्थिति में प्रपत्र–2 व संलग्न दस्तावेज प्रकाशन इकाई के कवरिंग लेटर के साथ एक लिफाफे में रखकर पुस्तकों के पैकेट/बंडल में ही रखकर भेजें। पैकेट में रखे प्रपत्र–2 के लिफाफे के उपर **"प्रपत्र 2 व संलग्न दस्तावेज "** अंकित करें।

प्रपत्र–1

क	पुस्तक का प्रकार·	कोड
1	शब्द रहित चित्र पुस्तकें	001
2	चित्रात्मक कथा पुस्तकें	002
3	कविताओं की चित्रात्मक पुस्तकें	003
4	जानकारी परक पुस्तकें	004
5	गतिविधि आधारित पुस्तकें	005
6	पहेली पुस्तकें	006
7	अन्य	007

प्रपत्र–2(ए–3 साइज के कागज पर)

1. प्रकाशन इकाई का नाम–

2. प्रकाशन इकाई का पता व दूरभाष क्र.–

3. प्रकाशन ईकाई के स्वामी/भागीदारी का नाम–

4. इकाई स्वामी का पेन नं.–

5. प्रकाशन इकाई का बैंक एकाउण्ड क्र. व बैंक तथा शाखा का नाम–

6. प्रकाशन इकाई/स्वामी की पिछले वित्तीय वर्ष की इनकम टेक्स रिटर्न का क्र.व जमा करने की दिनांक–

7. आई.एस.बी.एन. प्रदाय कर्ता संस्था द्वारा प्रकाशन इकाई का प्राप्त पत्र का क्रमांक व दिनांक–

8. सूची पत्र/ केटलॉग–संलग्न है। हाँ/नहीं

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुस्तक का विषय	कोड क्र.	संस्करण वर्ष	आई.एस.बी.एन.नं	मूल्य	पृष्ठ संख्या	पुस्तक पुरस्कार प्राप्त है तो उपयुक्त विवरण	किसी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तक प्रति प्राप्त होने का प्रमाण व पुस्तकालय का नाम	यदि पुस्तक गत तीन वर्षों में केन्द्रीय/किसी राज्य शासन इकाई द्वारा आपूर्ति हेतु चयनित की गई है तो विवरण दें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि कालम क्र.2 में दर्ज पुस्तकें कालम नं.3 में पुस्तकों के नाम के सामने उल्लेखित लेखकों की मूल रचनायें है। उपरोक्त समस्त जानकारियाँ व पुस्तकों का विवरण मेरी सूचना व विश्वास के अनुसार पूर्णत सही एव सत्य है। पुस्तक चयन व क्रय के संबध में, इस हेतु गठित व उत्तरदायी समिति का निर्णय मेरे लिये अंतिम होगा और मुझे मान्य होगा।

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

क्यू.......एन.क्यू..........

पत्रक परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

प्रकाशन ईकाई स्वामी के हस्ताक्षर

प्रकाशन, इकाई की सील

दिनांक..........स्थान.......

प्रकाशन इकाई के बैंक अकाउंट के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकाशन इकाई .... पता .... का बैंक अकाउंट कमांक .... हमारे बैंक .... शाखा .... में दिनांक .... से संचालित है। प्रकाशन इकाई के स्वामी/भागीदारी श्री/सर्व श्री .... है।

बैंक शाखा की मुद्रा
दिनांक :–

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर
शाखा प्रधक का नाम
पद मुद्रा

प्रपत्र–4

पुस्तक का कोड क0

क0

1. प्रकाशक का नाम व पता :–

2. पुस्तक का नाम :–

3. पुस्तक का परिचय/विषय वस्तु/सार (कम से कम 5 पंक्तियों में) :–

4. लेखक/संपादक/अनुवादक का नाम व परिचय :–

5. संस्करण वर्ष .... संस्करण.................... पृष्ठ संख्या.......... मूल्य..................

6. पुस्तक को यदि कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है या पुस्तक की समीक्षा किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई हो तो उसका विवरण दें तथा छायाप्रति संलग्न करें।

प्रकाशक के हस्ताक्षर
संस्था की सील सहित

कार्यालयीन उपयोग हेतु

चयन संबंधी अभिमत :–

समिति सदस्य के हस्ताक्षर